FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

पिंकी कंवर .... बनाम .... संतोष कंवर वगै0

किस्म मुकदमा .... दावा बाबत उद्घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा व रिकार्ड दुरूस्ती

मुकदमा नं. 356/2015 (बीटी नं0679/2017)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
29-12-20	पत्रावली आज पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। प्रकरण में वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रकरण का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार से है कि भूमि खसरा नम्बर 519 रकबा 0.50 है0 तन् ग्राम हरदास का बास में स्थित है। जिसकी 1/2 हिस्से की खातेदारी वादीया के एवं 1/2 हिस्सा की खातेदारी प्रतिवादी सं. 1 ता 4 के नाम दर्ज है। उक्त सम्पूर्ण भूमि पर अर्थात स्वयं के 1/2 हिस्से तथा प्रतिवादी सं. 1 ता 4 के नाम दर्ज 1/2 हिस्से पर वादीया बुजुर्गान के समय से ही काबिज काश्त है। उक्त भूमियों के राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का नाम गलत रुप से दर्ज है। तथा प्रतिवादीगण ने उक्त भूमि कभी काश्त नही की है। वादीया को वीपरीत कब्जे के आधार पर भी वादीया को पजेशरी टाईटल प्राप्त होने से वादीया सम्पूर्ण भूमि की खातेदारी दर्ज करवाने की कानूनन अधिकारी है। वादीया द्वारा प्रतिवादी न. 1 ता 4 को उक्त भूमि की खातेदारी वादीया के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने हेतु कहा तो वह आश्वासन देते रहे तथा अर्सा 10 रोज पहले इन्कार हो गये। इस पर वाद कारण दर्ज होने पर दावा करने लाजिम आया। वकील वादीया ने उक्तानुसार वादीया को काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने हेतु निवेदन वादीगण ने वादपत्र में किया है। हमने वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र व उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। जिनके अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रकरण में प्रतिवादी नं. 1 ता 3 ने वादीया के पक्ष में वादपत्र को स्वीकार करते हुए राजीनामा पेश कर चुके है तथा प्रतिवादी नं. 4 व 5 के हाजिर अदालत नहीं आने पर उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। साक्ष्य वादी में वादीया पिंकी कंवर व वादी गवाह में प्रहलाद सिंह व रणजीतसिंह के लिखितशुदा शपथ पत्र पेश हो चुके है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात	(12) सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

डिग्री कंवर बनाम संतोष कंवर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
दावा	रे.न. 679/2017

के अवलोकन से वादीया व प्रतिवादी एक ही समाज के सदस्य है। प्रकरण में प्रतिवादी नं. 1 ता 3 ने वादीया के पक्ष में वादपत्र को स्वीकार करते हुए राजीनामा पेश कर मुताबिक राजीनामा दावा डिकी किये जाने का निवेदन किया है। साक्ष्य वादी में पेश शपथ पत्रों में भी वादी व गवाहान् ने वादपत्र में दर्ज विवरण की ताकीद करते हुए उसी अनुसार खातेदारी दर्ज किये जाना वर्णित किया है। वादीया एवं प्रतिवादीगण 1 ता 4 एक ही परिवार के सदस्य हो इस बाबत कोई कथन/दस्तावेज पेश नही किया। इस प्रकार उक्त वादपत्र में अंकित भूमि के पैत्रक भूमि सिद्ध करने में वकील वादीया पूर्णतया असफल रहा है परन्तु इस प्रकरण में पक्षकारान् के मध्य आपस में हुए राजीनामा के अनुसार वादीया व प्रतिवादीगण ने आपस में मिल बैठकर राजीनामा कर लिये जाने तथा वादग्रस्त भूमि के 1/2 हिस्से में प्रतिवादी 1 ता 4 का नाम हजफ करते हुए उसके स्थान पर वादीया के नाम दर्ज किये जाने तथा उक्तानुसार खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाकर दुरूस्त किये जाने में प्रतिवादीगण को कोई एतराज नहीं होने तथा मुताबिक राजीनामा अनुसार वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाकर डिकी जारी किये जाने की सहमति प्रतिवादीगण ने अपने द्वारा प्रस्तुत राजीनामा में अंकित की है।

केवल मात्र किन्ही पक्षकारान् के द्वारा आपस में मिल बैठकर राजीनामा कर लिये जाने मात्र से किसी कृषि भूमि के खातेदारी अधिकार परिवार से अन्य किसी दीगर व्यक्ति को कानूनन सृजित नहीं किये जा सकते। लेकिन पक्षकारान् के मध्य आपस में हुए राजीनामा को मध्यनजर रखते हुए यदि वादीया वर्तमान में देय प्रचलित डी0एल0सी0 दरों से अपने नाम अंकित होने वाली भूमियों की स्टाम्प ड्यूटी राज्यकोष में जमा करवाते है तो उन्हें खातेदारी अधिकार दिया जाना न्यायहित में उचित प्रतित होता है।

आदेश

अतः वादीया द्वारा पेश वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाकर इस शर्त पर डिकी किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि ग्राम हरदास का बास तहसील श्रीमाधोपुर के कृषि भूमि खसरा नम्बर 519 रकबा 0.50 है0 में 1/2 हिस्से दर्ज खातेदारी से प्रतिवादी संख्या 1 संतोष कंवर पत्नी समुद्रसिंह व प्रतिवादी सं. 2 शक्तिसिंह पुत्र समुद्रसिंह व प्रतिवादी सं. 3 खींवसिंह पुत्र प्रेमसिंह

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

तारीख हुक्म	मिंकी कंवर बनाम संतोष कंवर **हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज**
	दावा मु.नं. – 673/2017
	प्रतिवादी सं. 4 मदनसिंह पुत्र प्रेमसिंह का नाम हजफ किया जाकर सम्पूर्ण खसरा की खातेदारी वादीया के नाम दर्ज किये जाने की घोषणा की जाती हैं। तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादीया के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त में दखलअंदाजी नही करें। उक्त घोषित रकबा की वर्तमान प्रचलित डी0एल0सी0 दरों पर स्टाम्प ड्यूटी जमा होने पर ही तहसीलदार श्रीमाधोपुर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करें। इसी अनुसार पर्चा डिकी जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। 29.12.2020 (बृजेश कुमार) सहायक कलक्टर (फा0ट्रे0) श्रीमाधोपुर सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर (सीकर)